पत्रांक–01 / नि0वि0–20 / 2023...../

**झारखण्ड सरकार**

**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

———

संकल्प

**विषयः– प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, रॉची की स्थापना हेतु प्रस्तावक द्वारा सरकार को Pledge की गई Endowment Fund की पूरी राशि जब्त करने के संबंध में।**

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्गत मॉडल गाइडलाईन में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के शर्त्त पर विभागीय पत्रांक–2270 दिनांक–30.11.2015 द्वारा प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, रॉची को Letter of Intent प्रदान किया गया एवं विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या–312 दिनांक–13 मई, 2016 द्वारा प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया।

2. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की जॉच हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–1226 दिनांक–02.08.2022 द्वारा 04 उप समितियों का गठन किया गया। प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की जॉच उप समिति–3 द्वारा की गयी एवं समर्पित जॉच प्रतिवेदन में उक्त विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं पाया गया।

3. जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय अधिसूचना संख्या–1225 दिनांक–02.08.2022 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी एवं जॉच प्रतिवेदन पर माननीय राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–1266 दिनांक–24.04.2023 के आलोक में विभागीय पत्रांक–1018 दिनांक–10.05.2017 द्वारा प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, रॉची में नामांकन पर रोक लगाते हुए विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा–43(1) के तहत् कारण पृच्छा की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

4. उल्लेखनीय है कि प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधान के तहत् विश्वविद्यालय की स्थापना के 02 वर्ष के अन्दर 25 एकड़ भूमि एवं न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन तथा न्यूनतम 10000 वर्ग मीटर का शैक्षणिक भवन आदि का निर्माण 03 वर्ष के अन्दर कराना था। विश्वविद्यालय की स्थापना के 07 वर्ष के उपरांत भी फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक भूमि एवं आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं कर पाया। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं पाया गया।

5. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रज्ञान फाउंडेशन द्वारा 4.00 करोड़ रूपये का इन्डोमेन्ट फंड जमा किया गया है। इन्डोमेन्ट फंड के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा–37 में निम्न प्रावधान हैः–"The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the university complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinance. The State Government shall have the power to forfeit, a part of whole of the Endowment Fund in case

the university or the sponsoring body contravenes the provisions of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules made their under."

6. प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की कंडिका–43 के तहत् विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन की स्थिति में सरकार एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, जो शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालयों की गतिविधि का संचालन करेगा, जबतक नियमिति पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखरी सत्र का पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियॉ या डिप्लोमा न दे दी जाय। तत्पश्चात् प्रशासक इस आशय का रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी। चूंकि प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, रॉची वर्ष 2016 में स्थापना के बाद भी अस्तित्व में नहीं आया है एवं पठन–पाठन शुरू नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रावधान के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

7. दिनांक–21.09.2023 को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित LOI के अनुपालन प्रतिवेदन की जॉच हेतु गठित समिति द्वारा प्रज्ञान इन्टरनेशनल अधिनियम, 2016 को रद्द करने के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा पाया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 07 वर्ष बाद भी न तो भूमि का क्रय किया गया है और न ही आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से Letter of Intent को रद्द करने एवं इन्डोमेन्ट फंड की पूरी राशि को जप्त करते हुए प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

8. चूंकि प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के निर्माण में सरकार के संसाधन एवं समय का उपयोग हुआ है तथा फाउंडेशन द्वारा अबतक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रज्ञान फाउन्डेशन को निर्गत Letter of Intent को रद्द करने, इन्डोमेन्ट फंड की पूरी राशि को जब्त करने तथा प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–15.12.2023 की बैठक में मद संख्या–21 में स्वीकृति प्राप्त है।

9. उक्त के आलोक में झारखण्ड गजट सं0–152 दिनांक–13.03.2024 द्वारा प्रकाशित Pragyan International University (Repeal), Act, 2023 द्वारा Pragyan International University Act, 2016 को निरस्त किया गया है।

10. उक्त के आलोक में प्रज्ञान फाउंडेशन को विभागीय पत्रांक–2270, दिनांक–30.11.2015 द्वारा निर्गत Letter of Intent (LoI) को निरस्त करते हुए प्रस्तावक द्वारा सरकार को Pledge की गई Endowment Fund की पूरी राशि जब्त की जाती है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / नि0वि0–20 / 2023.....471..... / रॉची, दिनांक–.....20/03/24..... /

प्रतिलिपिः–नोडल् पदाधिकारी, ई–ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।